


हरिमोहन बनाम सोहन

C/N<sub>o</sub> = 7/2018

5/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप.  
-दी। वकील शर्मा को रक-रक  
कर 5.30 P.M. तक आज्ञा लगावाई  
गई। वकील शर्मा या उनका कोई  
प्रतिनिधि उप. -दी। अतः शर्मा के  
शर्मा पत्र का अदम पैरवी अदम  
दाजरी में खारिज किया जाकर  
पत्रावली फैसला शुमार होकर  
पत्रावली नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

